कुलाधिपति
Chancellor

राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय,
University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक एफ.46(1)आरबी/2013/9483
दिनांक 24 नवम्बर, 2016

आदेश

राजस्थान क्रीडा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 11(6) के अंतर्गत डॉ0 एल.एस. राणावत को आदेश क्रमांक एफ.46(1)आरबी/2013/7445–52, दिनांक 27.08.2013 द्वारा कुलपति, राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं के पद का कार्यभार सभालने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था।

डॉ0 एल.एस. राणावत द्वारा कुलपति, राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं के पद का कार्यभार दिनांक 25.11.2013 (पूर्वान्ह) को ग्रहण किया गया। इनका कार्यकाल दिनांक 24.11.2016 को पूर्ण हो रहा है।

अतः मैं, कल्याण सिंह, कुलाधिपति, राजस्थान क्रीडा विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2013 की धारा 11(4) व 11(5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह पर श्री जे.सी. महान्ति, आई.ए.एस., प्रमुख शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को नियमित कुलपति की नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, अस्थाई व्यवस्था हेतु राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं के कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

(कल्याण सिंह)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक एफ.46(1)आरबी/2013/9484–88 दिनांक 24 नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्री जे.सी. महान्ति, आई.ए.एस., प्रमुख शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सचिव, मान0 मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. डॉ0 एल.एस. राणावत, कुलपति, राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं
5. कुलसचिव, राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं

(हरीश कुमार)
प्रभारी अधिकारी, उच्च शिक्षा